न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर. ए. एस.

न. मु. 1/2023

1 कालुराम मेघवाल पुत्र सोहनराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम हेमासर आथुणा (दुर्गाणा रामनगर) ग्राम पंचायत बालेरा तहसील बीदासर जिला चूरू अपीलार्थी

बनाम

1 सरपंच ग्राम पंचायत बालेरा तहसील बीदासर जिला चूरू राज.

2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महो. बीदासर तह. बीदासर जिला चूरू राज.

रेस्पोडेन्टान....

3 पुनिया उर्फ पुनाराम पुत्र खींवाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम हेमासर आथुणा (दुर्गाणा रामनगर) ग्राम पंचायत बालेरा तहसील बीदासर जिला चूरू

4 कुशलाराम पुत्र चूनाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम हेमासर आथुणा (दुर्गाणा रामनगर) ग्राम पंचायत बालेरा तहसील बीदासर जिला चूरू

5 दुर्गाराम पुत्र चूनाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम हेमासर आथुणा (दुर्गाणा रामनगर) ग्राम पंचायत बालेरा तहसील बीदासर जिला चूरू

6 शायरी पुत्री सोहनराम पत्नी श्री औमप्रकाश वल्द मॉगीलाल जाति मेघवाल निवासी वार्ड न. 2 राजलदेसर तहसील रतनगढ़ जिला चूरू पिन. 331802

7 भंवरी पुत्री सोहनराम पत्नी श्री कालुराम जाति मेघवाल निवासी बुनकर बस्ती, कुचामन सीटी जिला नागौर पिन कोड 341509

8 नानु पुत्री सोहनराम पत्नी पत्नी छोटूराम पुत्र दानाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम रोडू जिला नागौर पिन. 341304

9 कमला पुत्री सोहनराम पत्नी भींवाराम पुत्र मॉगीलाल जाति मेघवाल राजलदेसर हाल आबाद गली न. 5, रामपुरा बस्ती बीकानेर

गौण रेस्पोडेन्टान......

अपील बाबत आदेश ग्राम पंचायत बालेरा तहसील सुजानगढ़ नामान्तरकरण सख्या 36 दिनांक 29/05/1986 को निरस्त करवाने।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

उपस्थित :–

1 अपीलार्थी – श्री मोहम्मद शाहिद एडवोकेट
2 रेस्पोडेन्ट न. 2 पैरोकार राज
3 गौण रेस्पोडेन्ट न. 6,7,8,9 स्वयं हाजिर

निर्णय

दिनांक :–16/01/2023

अपील के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आदेश ग्राम पंचायत बालेरा द्वारा बाबत नामान्तरकरण सख्या 36 दिनांक 29/5/1986 जैर अपील न्याय, साम्य एवं प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया गया है, जो विरूद्ध प्राकृतिक न्याय के होने के कारण निरस्त फरमाये जाने योग्य है अपीलीय आदेश ग्राम पंचायत बालेरा द्वारा अपीलान्ट कालुराम मेघवाल के पिता सोहन पुत्र खींवा के स्वर्गवास होने के उपरान्त रोही ग्राम हेमासर आथुणा के खेत खसरा नम्बर 120 रकबा 2.7822 हैक्टेयर (11–00बीघा), खसरा नम्बर 192 रकबा 1.3911 हैक्टेयर (05–10 बीघा), खसरा नम्बर 192/215 रकबा 0.3794 हैक्टेयर (1–10बीघा), खसरा नम्बर 196 रकबा 3.4778 हैक्टेयर (13–15 बीघा) कुल खसरे 4 कुल रकबा 8.0305 हैक्टेयर (31–15 बीघा) में विरास्तन दर्ज किया गया है उक्त खसरा भूमि पूर्व मे ग्राम हेमासर आथुणा की कृषि भूमि रही है जो वर्तमान में नवसृजित ग्राम दुर्गाणा रामनगर में स्थित है जो बीदासर तहसील एवं उपखण्ड के क्षेत्राधिकार की भूमि है अपीलीय नामान्तरकरण सख्या 36 दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का, गिरदावर महोदय एवं ग्राम पंचायत द्वारा मृतक सोहन के वारिसान की जांच किये बिना ही नामान्तरकरण दर्ज किया गया है नामान्तरकरण दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का, गिरदावर एवं ग्राम पंचायत द्वारा स्व. सोहन के पॉच वारिसान अपीलान्ट कालुराम तथा गौण रेस्पोडेन्टान स. 6 ता 9 के बजाय एक अतिरिक्त पुत्री चम्पा का नाम और दर्ज कर दिया जबकी अपीलान्ट के पिता स्व. सोहन के एक मात्र पुत्र अपीलान्ट कालुराम तथा चार पुत्रीयॉ गौण रेस्पोडेन्टान स. 6 ता 9 हुई, अपीलीय नामान्तरकरण गलत और विधि विरूद्ध दर्ज तस्दीक एवं स्वीकृत किया गया है जो काबिले खारिज है अपीलीय नामान्तरकरण दर्ज तस्दीक, स्वीकृत करने के दिनांक 29/05/1986 को अपीलान्ट कालुराम की माता श्रीमती बुधी देवी मौजूद थी जिसका स्वर्गवास दिनांक 30/7/2020 को हुआ है विरास्तन नामान्तरकरण सख्या 36 हर सुरत में निरस्त करने योग्य हैं, ग्राम पंचायत ने अपीलीय नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व ना तो मृतक सोहन के वारिसान् की पूर्ण जांच की ना ही मृतक सोहन का मृत्यू प्रमाण पत्र चाहा। गलत और निराधार तथ्यों विहीन दर्ज अपीलीय नामान्तरकरण काबिले खारिज है, अपीलीय आदेश नामान्तरकरण सख्या 36 ग्राम पंचायत बालेरा पंचायत समिति सुजानगढ हाल पंचायत समिति बीदासर तहसील बीदासर द्वारा पारित किया गया है इसलिए श्रीमानजी के न्यायालय को इस अपील को सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है, जानकारी के दिन से यह अपील अन्दर मियाद एवं उचित कोर्ट फीस पर श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत है अन्य तथ्य व कानून बाद मुआयना मिशल वरवक्त बहस अर्ज किये जायेगे आदि आदि प्रस्तुत कर निवेदन किया की अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामा. स. 36 दिनांक 29/5/1986 खारिज फरमाया जाये।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner

उपरोक्त अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टान को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट न. 1 व गौण रेस्पोडेन्ट न. 3 ता 5 की विधिवत तामील के बावजूद हाजिर नहीं आने के कारण एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट स. 6 ता 9 स्वयं हाजिर अदालत आकर अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की। रेस्पोडेन्ट सख्या 2 राजरथान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर द्वारा वारिसान की जांच करवा कर लिखित जवाब बहस एवं जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बहस अन्तिम सुनी गई। पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रेस्पोडेन्ट स. 2 की और से प्रस्तुत दस्तावेज जांच रिपोर्ट पटवारी से अपील को नहीं मानने का कोई कारण पत्रावली में नहीं है। लिहाजा अपील अपीलर्थी स्वीकार की जाती है तथा निम्न आदेश दिया जाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त अपील स्वीकार कर रोही दुर्गाणा रामनगर के खेत खसरा नम्बर 120, 192, 192/215, 196 में रेस्पोडेन्ट स. 1 द्वारा स्वीकृत विरास्तान नामा. स. 36 दिनांक 29/5/1986 खारिज कर रेस्पोडेन्ट स. 2 तहसीलदार बीदासर को आदेशित किया जाता है मुताबिक वारिसान जांच रिपोर्ट अपीलार्थी के पिता का विरास्तन नामान्तरकरण दर्ज करवाये।

आदेश आज दिनाक 16–01–2023 को सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

श्योराम वर्मा
उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू
उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned with CamScanner